[2022] 4 एस. सी. आर. 453

क.

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और (2022 की सिविल अपील संख्या 2643)

31 मार्च, 2022

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-कदाचार-निलंबन-विभागीय कार्यवाही-महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949-एस. एस.36, 39, 39 ए, 45 और 56-नगर निगम कर्मचारी का निलंबन-विभागीय जांच-प्रतिवादी संख्या 1 (के. डी. एम. निगम का ए. एम. सी.) के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया-इसके बाद, उन्हें के. डी. एम. निगम के आयुक्त द्वारा एस. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया गया।56(1)(बी) महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के एम. एम. सी. अधिनियम आर/डब्ल्यू नियम 4 (1)-प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ उनके खिलाफ विभागीय जांच करने के संबंध में जारी नोटिस-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एस.36 एम. एम. सी. अधिनियम के तहत, यह केवल राज्य सरकार है, जो उसके खिलाफ विभागीय जांच को निलंबित करने और शुरू करने के लिए सक्षम थी-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आयुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश और के. डी. एम. निगम द्वारा अनुमोदित, और के. डी. एम. निगम की मंजूरी से आयुक्त द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच उनकी शक्तियों से परे थी-क्या प्रतिवादी संख्या 1 को के. डी. एम. निगम के कर्मचारी होने के बावजूद, न तो निलंबित किया जा सकता था और न ही के. डी. एम. निगम द्वारा उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती थी, क्योंकि उसका चयन और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी-आयोजितः उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ शुरू की गई निलंबन और विभागीय कार्यवाही को दरकिनार करते हुए गलती की-उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि एस.39 एम. एम. सी. अधिनियम के अनुसार, आयुक्त या निगम के पास ए. एम. सी. के खिलाफ विभागीय जांच को निलंबित करने या शुरू करने की शक्ति नहीं होगी।56 और एस की उप-धारा (9)।2 एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा।2, एसएस।39 एम. एम. सी. अधिनियम के ए और 56 को एक दूसरे के संदर्भ में पढ़ना होगा और इसे अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है-विधायी इरादा ए को छोड़ना नहीं हो सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

कर्मचारी स्कोट-फ्री, हालांकि वह गंभीर कदाचार में लिप्त रहा है-विधायिका ऐसी स्थिति का इरादा नहीं रख सकती थी, जिसमें हालांकि ए. एम. सी. का पद राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और हालांकि उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति निगम का कर्मचारी बन जाता है, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए क़ानून में कोई प्रावधान नहीं होगा-यदि ऐसी व्याख्या स्वीकार की जाती है, तो यह बेतुकी हो जाएगी और एक शून्य पैदा हो

जाएगी-क़ानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह अपनी व्यवहार्यता को बनाए रखे-धारा की उप-धारा (9) के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर।2, एसएस।39 एम. एम. सी. अधिनियम के ए और 56 के अनुसार, नगर निगम के आयुक्त के पास ए. एम. सी., जो सहायक आयुक्त से उच्चतर रैंक का अधिकारी है, के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को निलंबित करने या शुरू करने की शक्ति होगी-हालांकि, ऐसे अधिकारी के निलंबन के मामले में, केवल निगम को उसके कारणों के साथ रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, और यदि निगम द्वारा इस तरह के निलंबन की पुष्टि नहीं की जाती है, तो वह निलंबन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त हो जाएगा-किसी भी अन्य व्याख्या से बेतुका और विसंगति पैदा होगी, और इसलिए इससे बचना होगा-महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979-नियम 4 (1)।

ग

डी.

क़ानूनों की व्याख्या-"सामंजस्यपूर्ण निर्माण"-पर चर्चा की गई।

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1** अदालत को उस व्याख्या से बचना होगा जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की दो धाराओं के बीच टकराव होगा। जब किसी अधिनियम की एक धारा विधायी इरादे को सामने लाने की स्थिति में नहीं होती है, तो विधायी इरादे को इकट्ठा करने के लिए क़ानून की अन्य धाराओं का सहारा लेना होगा।यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कानून के कुछ हिस्सों पर प्रभाव डाला जाना चाहिए, भले ही वे पहली बार में विरोधाभासी प्रतीत हों।अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, ताकि पूरे क़ानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके।किसी भी अनुभाग के भीतर या दो अलग-अलग अनुभागों के बीच किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।यदि अदालत के पास दो व्याख्याओं के बीच एक विकल्प है, जिसमें से संकीर्ण ए को प्राप्त करने में विफल रहेगा।

च

जी.

एच.

455

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम संजय गजानन घरत और एक और ए

विधान के स्पष्ट उद्देश्य, इस तरह की व्याख्या से बचना होगा।अदालत को ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को व्यर्थ कर दे।एक व्यापक व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो एक प्रभावी परिणाम लाएगी।इस सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा **2** की उप-धारा **(9),** धारा **39** ए और धारा **56** को एक-दूसरे के संदर्भ में पढ़ना होगा।इन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।**[**पारस **37** और **38] [471-**डी-जी**]**

2 यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक बेतुकी और विसंगत स्थिति पैदा कर देगा जिसमें एक ओर, प्रतिवादी संख्या **1,** डब्ल्यू. हो को राज्य सरकार द्वारा के. डी. एम. निगम के लिए चुना और नियुक्त किया गया था, हालांकि वह के. डी. एम. निगम का कर्मचारी होगा, के. डी. एम. निगम उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं होगा, भले ही वह गंभीर कदाचार में लिप्त पाया गया हो।दूसरी ओर, चूंकि प्रतिवादी संख्या **1** राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, इसलिए राज्य सरकार भी उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं होगी।**[**पैरा **44] [473-**जी-एच**; 474-**ए**]**

ग

डी.

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम.श्रम न्यायालय, मद्रास और अन्य

(1985) 3 एससीसी 103:[1985] 3 एस. सी. आर. 491; सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन (1997) 1 एस. सी. सी. 373:[1996] 9 पूरक।

ई.

एससीआर **707;** जगदीश सिंह बनाम उपराज्यपाल**,** दिल्ली और

अन्य (1997) 4 एस. सी. सी. 435:[1997] 2 एससीआर 953;

आयकर आयुक्त बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर

(2003) 3 एससीसी 57:[2002] 5 पूरक।एससीआर 387; महादेव

च

प्रसाद बैस (मृत) बनाम आयकर अधिकारी 'ए' वार्ड,

गोरखपुर और एक अन्य (1991) 4 एस. सी. सी. 560:[1991] 1

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 9; K.P.Varghese** बनाम आयकर अधिकारी**,**

एर्नाकुलम और एक अन्य (1981) 4 एस. सी. सी. 173:[1982] 1

एस**.** सी**.** आर**. 629;** तमिलनाडु राज्य बनाम कोडाइकनाल मोटर

यूनियन (पी) लिमिटेड (1986) 3 एस. सी. सी. 91:[1986] 2 एससीआर 927

जी.

और संजय रामदास पाटिल बनाम संजय और अन्य **(2021)**

10 एस**.** सी**.** सी**. 303-**पर निर्भर।

अजय कुमार चौधरी बनामइसके माध्यम से भारत संघ

सचिव और एक अन्य (2015) 7 एस. सी. सी. 291:[2015] 2

एच.

एस**.** सी**.** आर**. 415** और तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व सरकार के सचिव **(**गृह**)** बनाम प्रमोद कुमार**,** आई**.** पी**.** एस**.** ने किया

और एक अन्य (2018) 17 एस. सी. सी. 677-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[2015] 2 एससीआर **415**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

[1985] 3 एससीआर **491**

पर भरोसा किया

पैरा **31**

[1996] 9 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 707** पर निर्भर

पैरा **33**

[1997] 2 एससीआर **953**

पर भरोसा किया

पैरा **35**

पैरा **36**

[2002] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 387** ने **[1991] 1** सप्लीमेंट पर भरोसा किया।एस**.** सी**.** आर**. 9** पर निर्भर

ग

पैरा **40**

[1982] 1 एससीआर **629**

पर भरोसा किया

पैरा **41**

[1986] 2 एससीआर **927**

पर भरोसा किया

पैरा **42**

(2021) 10 एस**.** सी**.** सी**. 303**

पर भरोसा किया

पैरा **46**

डी.

(2018) 17 एस**.** सी**.** सी**. 677**

संदर्भित किया गया है

पैरा **50**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 2643।

2020 की रिट याचिका (एस. टी.) No.3599 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.04.2021 से।

ई.

सहित

2022 की सिविल अपील संख्या 2644।

तुषार मेहता, एस. जी., पी. एस. पटवालिया, शेखर नाफड़े, अनुपम लाल दास, वरिष्ठ अधिवक्ता।, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सुश्री श्वेतल शेपाल, हर्षिका वर्मा, सम्राट कृष्णराव शिंदे, कुणाल चीमा, अपूर्व शुक्ला, अनिरुद्ध सिंह, कृष्णू बरुआ, सुश्री ऐश्वर्या दास, साबिर कच्छी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

च

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

बी. आर. गवई, जे.

1. विशेष अवकाश याचिकाओं दोनों में अनुमति दी गई।

2. कल्याण डोम्बिवली नगर निगम (इसके बाद "के. डी. एम. निगम" के रूप में संदर्भित) और महाराष्ट्र राज्य, वर्तमान अपीलों के माध्यम से, 6 वीं ए के फैसले की शुद्धता को चुनौती देते हैं।

एच.

457

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

अप्रैल 2021, बॉम्बे में उच्च न्यायालय की न्यायिक पीठ द्वारा लिखित याचिका (एसटी) में पारित किया गया। 2020 का सं. 3599, इस प्रकार यह अभिनिर्धारित करता है कि के. डी. एम. निगम प्रत्यर्थी No.1-Sanjay गजानन घरत को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था।विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को भी रद्द कर दिया था और के. डी. एम. निगम को निर्देश दिया था कि वह उन्हें तुरंत के. डी. एम. निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त (इसके बाद "ए. एम. सी". के रूप में संदर्भित) के पद पर बहाल करे।

3. तथ्य विवादित नहीं हैं।प्रतिवादी नंबर 1 को शुरू में वर्ष 1995 में के. डी. एम. निगम के सहायक नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।उक्त नियुक्ति को राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 1997 को महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 (इसके बाद "एम. एम. सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 45 के तहत मंजूरी दी गई थी।इसके बाद के. डी. एम. निगम ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 9 मई 2003 को के. डी. एम. निगम के उप नगर आयुक्त के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की। के. डी. एम. निगम की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को इस तरह की पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाने के बाद ऐसा किया गया था।के. डी. एम. निगम के आम निकाय ने भी 18 जुलाई 2003 को आयोजित अपनी बैठक में उक्त सिफारिश को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2005 की अधिसूचना के माध्यम से 9 मई 2003 से प्रतिवादी संख्या 1 को उप नगर आयुक्त के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दी। 4.25 सितंबर 2011 से लागू हुए 2011 के महाराष्ट्र अधिनियम के तहत एम. एम. सी. अधिनियम में विभिन्न संशोधन किए गए। उक्त संशोधन के माध्यम से, कानून में धारा 39 ए लाई गई थी, जिसमें एएमसी के एक या अधिक पदों के निर्माण और ऐसे पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान था।

ग

डी.

ई.

च

5. वर्ष 2011 में किए गए संशोधन के अनुसरण में, राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2011 को एक सरकारी प्रस्ताव (जिसे इसके बाद "जी. आर". के रूप में संदर्भित किया गया है) जारी किया।उक्त जी. आर. के माध्यम से, ए. एम. सी. का एक पद के. डी.

एम. निगम के लिए बनाया गया था।के. डी. एम. निगम के श्रेणी 'डी' से श्रेणी 'सी' में उन्नयन के परिणामस्वरूप, ए. एम. सी. का एक अतिरिक्त पद जी. आर. दिनांक 6 जनवरी 2015 के माध्यम से बनाया गया। उक्त जी. आर. ने ए. एम. सी. के पद के लिए चयन प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की। निर्विवाद रूप से, चयन समिति, जिसने 5 मई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में ए. एम. सी. के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिए के. डी. एम. निगम के आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार किया, ने प्रतिवादी संख्या 1 को इसके लिए सबसे उपयुक्त पाया।

जी.

एच.

458

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

उसी और तदनुसार, के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के पद पर नियुक्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य की चयन समिति द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई।प्रतिवादी संख्या 1 को 2 जून 2015 को महाराष्ट्र राज्य द्वारा के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के रूप में नियुक्त किया गया था।उनकी नियुक्ति के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 उसी महीने के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के रूप में अपनी सेवा में शामिल हुए।

6. 14 जून 2018 को, प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ धारा 7,8,13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2018 की एक प्राथमिकी दर्ज की गई।प्रतिवादी नंबर 1 को उसी तारीख को गिरफ्तार किया गया था और वह 17 जून 2018 तक हिरासत में रहा, जिस तारीख को उसे जमानत पर रिहा किया गया था।

ग

7. के. डी. एम. निगम के आयुक्त ने कथित तौर पर एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 (1) (बी) और महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 (इसके बाद "एम. सी. एस. नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 4 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 जून 2018 को प्रतिवादी संख्या 1 को सेवा से निलंबित करने का आदेश जारी किया।के. डी. एम. निगम के सामान्य निकाय ने 7 जुलाई 2018 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिवादी संख्या 1 के निलंबन की पुष्टि की। 20 जून 2019 को, के. डी. एम. निगम के सामान्य निकाय ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ विभागीय जांच करने की भी मंजूरी दी।तदनुसार, के. डी. एम. निगम के आयुक्त ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उनके खिलाफ विभागीय जांच करने के संबंध में 7 अगस्त 2019 को एक नोटिस जारी किया और उन्हें के. डी. एम. निगम द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 16 अगस्त 2019 को के. डी. एम. निगम के आयुक्त को संबोधित अपने पत्र के माध्यम से अधिकार क्षेत्र के आधार पर उक्त विभागीय जांच पर आपत्ति जताई।

डी.

ई.

च

8. एक बार फिर, के. डी. एम. निगम ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 5 दिसंबर 2019 को एक नोटिस जारी कर 26 दिसंबर 2019 को होने वाली प्रारंभिक जांच के लिए उपस्थित रहने का आह्वान किया।हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने विभागीय जांच में भाग नहीं लेने का फैसला किया और 21 फरवरी 2020 को बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की रिट याचिका (एसटी) No.3599 के रूप में एक रिट याचिका दायर की।उक्त रिट याचिका में उन्होंने निम्नलिखित राहतों की मांग कीः

जी.

"क) यह माननीय न्यायालय मैंडमस की प्रकृति में मैंडमस का रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट या कोई ए जारी कर सकता है।

एच.

459

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

अन्य उपयुक्त निर्देश या आदेश जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 निगम और उसके नगर आयुक्त को तुरंत वापस लेने और/या रद्द करने का निर्देश दिया जाता है -

I) 18 जून, 2018 का विवादित निलंबन आदेश, जो यहां प्रदर्शित किया गया है;

II) 7 जुलाई, 2018 का विवादित सामान्य निकाय प्रस्ताव, जो कि प्रदर्शनी-V है;

III) 20 जून, 2019 का विवादित सामान्य निकाय संकल्प संख्या 6, जिसे यहां प्रदर्शित किया जा रहा है; और

IV) इस याचिका के लिए 7 अगस्त, 2019 की विभागीय जांच का विवादित नोटिस प्रदर्शनी-जेड है;

ग

ख) यह माननीय न्यायालय प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र की प्रकृति में कोई अन्य उपयुक्त आदेश या कोई अन्य उपयुक्त निर्देश या आदेश जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है जिससे -

डी.

I) 18 जून, 2018 का विवादित निलंबन आदेश, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नगर आयुक्त द्वारा पारित किया गया था, जिसे यहां प्रदर्शित किया गया है;

II) प्रतिवादी संख्या 1 का 7 जुलाई, 2018 का विवादित सामान्य निकाय प्रस्ताव, जो यहां प्रदर्शनी-V है;

ई.

III) 20 जून, 2019 का विवादित सामान्य निकाय संकल्प संख्या 6 या प्रतिवादी संख्या 1, जिसे यहां प्रदर्शित किया जा रहा है; और

IV) प्रतिवादी संख्या 1 के आयुक्त द्वारा जारी 7 अगस्त 2019 की 193 विभागीय जांच का विवादित नोटिस, जो इस याचिका के लिए प्रदर्शनी-जेड है;

च

ग) यह माननीय न्यायालय मैंडमस की प्रकृति में मैंडमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट या किसी अन्य उपयुक्त निर्देश या आदेश को जारी करने के लिए प्रसन्न हो सकता है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 निगम और उसके नगर आयुक्त को याचिकाकर्ता को पहले प्रतिवादी निगमों के अतिरिक्त नगर आयुक्त के पद पर तुरंत फिर से नियुक्त करने का निर्देश दिया जा सके।

जी.

9. 6 अप्रैल 2021 के विवादित फैसले से, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को प्रार्थना (ए) से (सी) के संदर्भ में अनुमति दी गई, जो यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत की गई हैं।इससे दुखी होकर,

एच.

के. डी. एम. निगम और महाराष्ट्र राज्य दोनों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

10. हमने के. डी. एम. निगम की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. पटवालिया, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राहुल चिटनिस और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनुपम लाल दास को सुना है। 11.श्री पटवालिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर गलती की है कि प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार का कर्मचारी था और इसलिए, यह केवल राज्य सरकार थी, जिसके पास उसे निलंबित करने का अधिकार था। उन्होंने कहा कि हालांकि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए के तहत, राज्य सरकार एक पद बनाने और उस पद पर एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकरण थी, लेकिन ऐसा पद विशेष रूप से के. डी. एम. निगम के लिए बनाया गया था और एक बार राज्य सरकार द्वारा उक्त पद पर एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के बाद, वह के. डी. एम. निगम का कर्मचारी बन गया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 के प्रावधानों को देखते हुए, यह केवल के. डी. एम. निगम था, जो उक्त प्रावधान के तहत उपलब्ध आधारों पर ऐसे कर्मचारी को निलंबित करने और विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए भी सक्षम था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू पर विचार नहीं करने और महाराष्ट्र सामान्य खंड अधिनियम, 1904 (इसके बाद "जीसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 16 का उल्लेख करने में घोर गलती की है।उन्होंने कहा कि जब एम. एम. सी. अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, जो आयुक्त को एक कर्मचारी को निलंबित करने और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता है, तो जी. सी. अधिनियम का सहारा लेना आवश्यक नहीं है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को गिरफ्तार किया गया था और 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया था, इसलिए एमसीएस नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) को देखते हुए, उनका निलंबन मान लिया गया था।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय का प्रभाव इस परिणाम की ओर जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1, जिसे एक जाल मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया है, को छोड़ दिया जाएगा।

ग

डी.

ई.

च

12. राज्य सरकार ने भी के. डी. एम. निगम द्वारा उठाई गई दलीलों का समर्थन किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि यह पद राज्य सरकार द्वारा के. डी. एम. निगम के लिए बनाया गया था और हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 को राज्य सरकार द्वारा 6 जनवरी 2015 को जी. आर. में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुना और नियुक्त किया गया था, नियुक्ति के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के रूप में थी और इस तरह, के. डी. एम. निगम एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 के तहत उसे निलंबित करने के लिए अपनी शक्तियों के भीतर था।

जी.

एच.

13. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अनुपम लाल दास प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को राज्य सरकार द्वारा एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए के तहत नियुक्त किया गया था और ए. एम. सी. का पद आयुक्त के समान है, जिसे एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 36 के तहत नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए (2) के तहत, एक ए. एम. सी. समान देनदारियों, प्रतिबंधों और सेवा के नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसके लिए आयुक्त एम. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि आयुक्त और ए. एम. सी. के पद एम. एम. सी. अधिनियम के अध्याय II में पाए जाते हैं, जबकि धारा 56 एम. एम. सी. अधिनियम के अध्याय IV में पाई जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एम. एम. सी. अधिनियम के अध्याय IV की विभिन्न अन्य धाराओं में ए. एम. सी. और आयुक्त के अलावा विभिन्न नगरपालिका अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का प्रावधान है और इसलिए, "सक्षम प्राधिकारी" शब्द को केवल ऐसे प्राधिकरणों के रूप में समझना होगा, जो एम. एम. सी. अधिनियम के अध्याय IV में पाए जाने वाले पदों पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में, इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए

ग

डी.

अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ का मामला

सचिव और अन्य 1, प्रत्यर्थी संख्या 1 का निरंतर निलंबन आवश्यक नहीं था।उन्होंने कहा कि यहां तक कि आरोप पत्र भी 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए, विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

ई.

14. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा है कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 36 को ध्यान में रखते हुए की गई थी, इसलिए यह केवल राज्य सरकार है, जो उसके खिलाफ विभागीय जांच को निलंबित करने और शुरू करने के लिए सक्षम थी।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि आयुक्त द्वारा जारी और के. डी. एम. निगम द्वारा अनुमोदित निलंबन आदेश और के. डी. एम. निगम की मंजूरी से आयुक्त द्वारा शुरू की गई विभागीय जांच उनकी शक्तियों से परे थी।हमें इन निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करनी होगी।

च

15. एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए इस प्रकार हैः

जी.

“ 39 क. अतिरिक्त नगर आयुक्तों की नियुक्ति।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(1) राज्य सरकार निगम में अतिरिक्त नगर आयुक्तों के एक या अधिक पदों का सृजन कर सकती है और ऐसे पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकती है, जो -

1 (2015) 7 एस. सी. सी. 291

एच.

462

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

आयुक्त, सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है और आयुक्त के सभी या किसी भी कर्तव्य और कार्यों का पालन करता है। (2) अतिरिक्त नगर आयुक्त के रूप में इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं देनदारियों, प्रतिबंधों और सेवा के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिनके अधीन आयुक्त इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है।

16. एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए की उप-धारा (1) के अवलोकन से पता चलेगा कि राज्य सरकार को ए. एम. सी. के एक या अधिक पद बनाने का अधिकार है। हालाँकि, ऐसा पद विशेष निगम में बनाया जाता है।राज्य सरकार ऐसे पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करने की भी हकदार है।यह और स्पष्ट है कि इस प्रकार नियुक्त ए. एम. सी. यद्यपि सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करेंगे और आयुक्त के सभी या किसी भी कर्तव्य और कार्यों का पालन करेंगे, लेकिन वे आयुक्त के नियंत्रण के अधीन होंगे।एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि ए. एम. सी. के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति समान देनदारियों, प्रतिबंधों और सेवा के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिसके लिए आयुक्त एम. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।

ग

डी.

17. यह विवाद में नहीं है कि 6 जनवरी 2015 को जी. आर. द्वारा के. डी. एम. निगम के लिए ए. एम. सी. का एक नया पद बनाया गया था, जिसे 'डी' श्रेणी से 'सी' श्रेणी में पदोन्नत किया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि के. डी. एम. निगम में पहले से ही ए. एम. सी. का एक पद मौजूद था।उक्त जी. आर. के अवलोकन से पता चलता है कि ए. एम. सी. का एक पद, जिसे नया बनाया गया था, के. डी. एम. निगम में राज्य संवर्ग के अधिकारियों से भरा जाना था।यह आगे बताएगा कि ए. एम. सी. का दूसरा पद चयन के माध्यम से संबंधित निगम में काम करने वाले अधिकारियों से भरा जाना था।इसने आगे स्पष्ट किया कि यदि उपयुक्त व्यक्ति उक्त पद पर चयन के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसे राज्य सरकार संवर्ग के अधिकारियों से भरा जाएगा।

ई.

च

18. अभिलेख के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने के. डी. एम. निगम के आयुक्त से उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम मांगे थे।आयुक्त ने 4 अप्रैल 2015 को अपने संचार के माध्यम से तीन नामों का प्रस्ताव रखा।उक्त नामों पर निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति द्वारा विचार किया गया थाः

जी.

(i) आयुक्त/निदेशक, नगर प्रशासन निदेशालय; ए

एच.

463

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

(ii) अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई नगर निगम; (iii) आयुक्त, के. डी. एम. निगम;

((iv) उप सचिव, महाराष्ट्र सरकार; और (v) अवर सचिव, महाराष्ट्र सरकार।

19. उक्त बैठक के कार्यवृत्त के अवलोकन से पता चलेगा कि हालांकि के. डी. एम. निगम के आयुक्त ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 सहित कोई भी उम्मीदवार ए. एम. सी. के पद के लिए पात्र नहीं था, समिति ने 5 मई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में, तीन उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के पद पर नियुक्ति के लिए

प्रतिवादी संख्या 1 की सिफारिश करने का संकल्प लिया।उक्त सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को 2 जून 2015 को जी. आर. के माध्यम से के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के रूप में नियुक्त किया गया था।उक्त जी. आर. स्पष्ट रूप से बताएगा कि प्रतिवादी संख्या 1 को विशेष रूप से के. डी. एम. निगम के ए. एम. सी. के रूप में नियुक्त किया गया था।इस प्रकार अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 का चयन और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन उनकी नियुक्ति विशेष रूप से के. डी. एम. निगम के लिए थी।

ग

डी.

20. इसलिए, जिस प्रश्न पर हमें विचार करना होगा वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 को, हालांकि के. डी. एम. निगम का एक कर्मचारी है, न तो निलंबित किया जा सकता है और न ही के. डी. एम. निगम द्वारा उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है, क्योंकि उसका चयन और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की गई थी।

ई.

21. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, एम. एम. सी. अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। हम पहले ही एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं।अन्य दो प्रावधान जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, वे धारा 2 की उप-धारा (9) और एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 हैं, जो इस प्रकार हैंः

च

“2. परिभाषाएँ।- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

.....

जी.

(9) “आयुक्त "से धारा 36 के तहत नियुक्त शहर के लिए नगर आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें धारा 39 के तहत नियुक्त एक कार्यवाहक आयुक्त शामिल है;

.....

एच.

56. नगरपालिका अधिकारियों पर दंड अधिरोपित करना और

सेवक।—(1) एक सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी पर उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दंडों में से कोई भी अधिरोपित कर सकता है यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसा अधिकारी या कर्मचारी विभागीय नियमों या अनुशासन के उल्लंघन या लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा या अन्य कदाचार का दोषी है या अक्षम हैः

बशर्ते कि -

(क) सहायक आयुक्त के पद के समतुल्य या उससे उच्च पद पर आसीन किसी भी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी को निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना आयुक्त द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाएगा।

ग

[(ख) परिवहन प्रबंधक के प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अधिकारी होने के अलावा, निगम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को आयुक्त द्वारा निगम के आदेश तक निलंबित किया जा सकता है और जब इस तरह

से निलंबित अधिकारी परिवहन प्रबंधक या धारा 45 के तहत नियुक्त अधिकारी होता है, तो ऐसे निलंबन के कारणों की सूचना आयुक्त द्वारा निगम को तुरंत दी जाएगी और यदि निगम द्वारा ऐसे निलंबन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है तो ऐसा निलंबन समाप्त हो जाएगाः

डी.

ई.

बशर्ते कि, ऐसे अधिकारी या सेवक के खिलाफ आरोपों की जांच लंबित रहने तक किसी अधिकारी या सेवक का ऐसा निलंबन दंड नहीं माना जाएगा।]"

च

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए के तहत, हालांकि ए. एम. सी. सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा और आयुक्त के सभी या किसी भी कर्तव्य और कार्यों का पालन करेगा, लेकिन यह आयुक्त के नियंत्रण के अधीन होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि ए. एम. सी. उन्हीं देनदारियों, प्रतिबंधों और सेवा के नियमों और शर्तों के अधीन होगा, जिनके अधीन निगम के आयुक्त हैं।हालांकि, विधायी इरादा स्पष्ट है कि ए. एम. सी. द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां आयुक्त के नियंत्रण के अधीन होंगी।

जी.

23. एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (9) से भी विधायी आशय एकत्र किया जाएगा। यह देखा जा सकता है कि "आयुक्त" की परिभाषा में, हालांकि ए के तहत नियुक्त एक कार्यवाहक आयुक्त

एच.

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 को शामिल किया गया है, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए के तहत नियुक्त ए. एम. सी. को शामिल नहीं किया गया है।इसलिए हम प्रत्यर्थी संख्या 1 के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि ए. एम. सी. का पद आयुक्त के पद के समान है।विधायी इरादा स्पष्ट है कि यद्यपि ए. एम. सी. सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है और आयुक्त के सभी या किसी भी कर्तव्य और कार्यों का पालन करता है, वह आयुक्त के नियंत्रण के अधीन होगा, और इस तरह, उसके अधीनस्थ होगा।

24. एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के तहत, एक सक्षम प्राधिकारी, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को किसी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी पर लगाने का हकदार है, यदि ऐसा प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा अधिकारी या कर्मचारी विभागीय नियमों या अनुशासन के उल्लंघन या लापरवाही, कर्तव्य की उपेक्षा या अन्य कदाचार का दोषी है या अक्षम है।तथापि, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (ए) में यह प्रावधान है कि सहायक आयुक्त के पद के समतुल्य या उससे उच्च पद पर आसीन किसी भी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी को निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना आयुक्त द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाएगा।यह देखा जा सकता है कि उपयोग किए गए शब्द "सहायक आयुक्त के पद के समकक्ष या उससे उच्च पद" हैं। यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 को भी उसी संशोधन अधिनियम यानी 2011 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 32 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसके द्वारा कानून में धारा 39 ए लाई गई थी।इससे पहले, धारा 56 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उपयोग किए गए शब्द "जिनका मासिक वेतन, भत्तों को छोड़कर, एक हजार रुपये से अधिक है" थे।उक्त शब्दों के स्थान पर "सहायक आयुक्त के पद के समकक्ष या उससे अधिक पद धारण करने वाले" शब्द रखे गए थे।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि "सक्षम प्राधिकारी" किसी नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी पर एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दंड लगाने का हकदार है; एक अधिकारी के मामले में, जो सहायक

आयुक्त के पद के बराबर या उससे अधिक रैंक का है, बर्खास्तगी की शक्ति का प्रयोग "आयुक्त" द्वारा निगम के पूर्व अनुमोदन के साथ ही किया जा सकता है।25. यह आगे देखा जा सकता है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के परंतुक का खंड (बी) आयुक्त को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित करने में सक्षम बनाता है, चाहे वह निगम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, सिवाय इसके कि परिवहन प्रबंधक प्रतिनियुक्ति पर एक सरकारी अधिकारी है, निगम का एक आदेश लंबित है।इसमें आगे कहा गया है कि जब निलंबित अधिकारी परिवहन प्रबंधक होता है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

या एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त अधिकारी, उसके कारणों के साथ इस तरह के निलंबन की सूचना आयुक्त द्वारा निगम को तुरंत दी जाएगी।इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि इस तरह का निलंबन समाप्त हो जाएगा यदि निगम द्वारा इस तरह के निलंबन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है।

26. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयुक्त को किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार है, चाहे वह निगम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो, यदि कोई परिवहन प्रबंधक प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अधिकारी हो या एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त कोई अधिकारी हो, तो आयुक्त से निगम को उसके कारणों के साथ इस तरह के निलंबन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि निगम द्वारा इस तरह के निलंबन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है तो इस तरह का निलंबन समाप्त हो जाएगा।

ग

27. एम. एम. सी. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से पता चलता है कि हालांकि एक सक्षम प्राधिकारी किसी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी पर कोई जुर्माना लगा सकता है, लेकिन सहायक आयुक्त के पद के बराबर या उससे अधिक पद पर आसीन किसी भी नगर निगम अधिकारी या कर्मचारी को निगम की पूर्व मंजूरी के बिना आयुक्त द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाएगा।

डी.

28. यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने नगरपालिका अधिकारियों और सेवकों के दो वर्ग बनाए हैं।एक वर्ग नगरपालिका अधिकारियों और सेवकों का होता है, जो सहायक आयुक्त के पद के समकक्ष या उससे उच्च पद पर होते हैं।इस श्रेणी में, एक सक्षम प्राधिकारी एम. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंड लगा सकता है। नगरपालिका अधिकारियों का दूसरा वर्ग सहायक आयुक्त के पद के समकक्ष या उससे उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों का होता है।ऐसे वर्ग के अधिकारियों को केवल आयुक्त द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है और वह भी निगम की पूर्व मंजूरी के साथ।

ई.

च

29. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (ए) को एक संशोधन द्वारा एक साथ संशोधित किया गया है, जिसने कानून में धारा 39 ए लाई है।इस प्रकार, हमारा विचार है कि "सहायक आयुक्त के पद के समतुल्य या उससे उच्च पद" शब्द को संकीर्ण दिशा-निर्देश में नहीं लिया जा सकता है।इसलिए हमारा विचार है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में ए. एम. सी. का पद भी शामिल होगा। इस प्रकार, आयुक्त एक "सक्षम ए" होगा।

जी.

एच.

467

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

प्राधिकरण "जहाँ तक ए. एम. सी. के पद का संबंध है।इसी तरह, यद्यपि परिवहन प्रबंधक के प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अधिकारी होने या एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित करने की आयुक्त की शक्तियां बिना किसी प्रतिबंध के हैं, जब ऐसा निलंबन परिवहन प्रबंधक या एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त अधिकारी के संबंध में है, हालांकि आयुक्त को उन्हें निलंबित करने का अधिकार है, ऐसे निलंबन की सूचना उसके कारणों के साथ निगम को दी जानी चाहिए।यदि निगम द्वारा ऐसे निलंबन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है, तो ऐसा निलंबन समाप्त हो जाएगा।

30. प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सराहना के लिए, इस न्यायालय के कुछ उदाहरणों से कुछ मार्गदर्शन लेना उचित होगा।

ग

31. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के मामले में v.श्रम न्यायालय, मद्रास

और अन्य 2, इस न्यायालय को तमिलनाडु दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 की धारा 31 में उल्लिखित ओवरटाइम मजदूरी की दर तय करने का अवसर मिला था।इस न्यायालय ने पाया कि उक्त अधिनियम की धारा 31 में उल्लिखित ओवरटाइम मजदूरी की न्यूनतम दर का पता लगाने के लिए, इसकी व्याख्या उक्त अधिनियम की धारा 31 के प्रावधान के साथ पठित धारा 14 (1) में निहित प्रावधानों के आलोक में की जानी चाहिए। इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

डी.

“15. वैधानिक निर्माण का कोई भी सिद्धांत इससे अधिक दृढ़ता से स्थापित नहीं है कि क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।यह निर्माण का एक सामान्य नियम है जो सभी कानूनों पर समान रूप से लागू होता है जिसे कंस्ट्रक्शन एक्स विसरिबस एक्टस के रूप में कहा जाता है।वैधानिक निर्माण का यह नियम इतना दृढ़ता से स्थापित है कि इसे विभिन्न रूपों में "प्राथमिक नियम" (अटॉर्नी जनरल बनाम बास्तो [(1957) 1 ऑल ई. आर. 497 देखें) और एक "व्यवस्थित नियम" के रूप में शैलीबद्ध किया गया है (पोपपटलाल शाह बनाम मद्रास राज्य देखें [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 274:1953 एससीआर 667])।इस सुव्यवस्थित सिद्धांत का एकमात्र मान्यता प्राप्त अपवाद यह है कि जो अपने आप में स्पष्ट और स्पष्ट है, उसके अर्थ को बदलने के लिए इसे सहायता के रूप में नहीं लिया जा सकता है।लॉर्ड कोक ने निर्धारित किया किः“(पंजाब बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड में अनुमोदन के साथ उद्धृत) किसी क़ानून का सबसे स्वाभाविक और वास्तविक व्याख्या है कि किसी क़ानून के एक हिस्से का उसी क़ानून के दूसरे हिस्से द्वारा अर्थ लगाया जाए, क्योंकि निर्माताओं का सबसे अच्छा अर्थ व्यक्त होता है।सुरेश चंद [(1978) 2 एससीसी 144:1978 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 165: (1978) 3 एससीआर 370])।"

ई.

च

जी.

2 (1985) 3 एससीसी 103

एच.

468

32. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि क़ानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।यह माना गया है कि वैधानिक निर्माण का यह नियम इतना दृढ़ता से स्थापित है कि इसे "प्राथमिक नियम" के रूप में अलग-अलग रूप दिया गया है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कानून के एक भाग के सही अर्थ का पता लगाने के लिए, कानून के दूसरे भाग का संदर्भ देना होगा और जो निर्माताओं के अर्थ को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करेगा।

33. सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन **3** के मामले में**,** यह

न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 और उसके आदेश XXI नियम 2 के बीच संघर्ष के संबंध में प्रश्न पर विचार कर रहा था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करते हुए, उक्त दो प्रावधानों के बीच तथाकथित संघर्ष को दूर कर दिया गया था।ऐसा देखते हुए, इस न्यायालय ने कानूनों की व्याख्या के निम्नलिखित सुव्यवस्थित सिद्धांतों को दोहरायाः

ग

"15. ऊपर बताए गए मामले-कानून के संदर्भ में, निम्नलिखित सिद्धांत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैंः

(1) यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अधिनियम की दो धाराओं के बीच आमने-सामने टकराव से बचें और उन प्रावधानों का इस तरह से अर्थ निकालें जो एक-दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

डी.

(2) कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग अन्य प्रावधानों को विफल करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत अपने प्रयासों के बावजूद, उनके बीच सुलह करना असंभव न पाए।

ई.

(3) सभी न्यायालयों को हर समय यह ध्यान में रखना होगा कि जब किसी अधिनियम में दो परस्पर विरोधी प्रावधान हैं, जिनका एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो, तो उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

च

दोनों।यही "सामंजस्यपूर्ण निर्माण" के नियम का सार है।

(4) अदालतों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एक व्याख्या जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" के रूप में कम करती है, सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है।(5) सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट करना या उसे अनुचित बनाना नहीं है।"

जी.

3 (1997) 1 एससीसी 373 ए

एच.

469

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

34. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की दो धाराओं के बीच आमने-सामने टकराव से बचना और उन प्रावधानों का इस तरह से अर्थ लगाना न्यायालय का कर्तव्य है जो एक-दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत होते हैं ताकि उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सके।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग अन्य प्रावधानों को विफल करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत को उनके बीच सुलह करना असंभव न लगे।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब किसी अधिनियम में दो परस्पर विरोधी प्रावधानों का एक-दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, तो उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि यदि संभव हो, तो दोनों को प्रभाव दिया जाना चाहिए।यह आगे माना गया है कि एक व्याख्या, जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" या "बेकार लकड़ी" के रूप में कम करती है, से बचा जाना चाहिए।

ग

35. यह न्यायालय जगदीश सिंह बनाम उपराज्यपाल के मामले में,

दिल्ली और अन्य 4 ने दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के नियम 25 (2) और 28 के बीच संघर्ष पर विचार करते हुए इस प्रकार कहाः“7. ... यह एक क़ानून या वैधानिक नियम के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि प्रत्येक प्रावधान की अपनी भूमिका हो और किसी भी संघर्ष की स्थिति में एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाए।इसके अलावा एक क़ानून या उसके तहत बनाए गए नियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान का अर्थ दूसरे प्रावधान के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि नियम को सुसंगत बनाया जा सके और कोई भी निर्माण जो एक प्रावधान और दूसरे के बीच कोई विसंगति या प्रतिकूलता लाए।एक नियम का उपयोग उसी नियम में दूसरे नियम को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना असंभव न हो।सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सर्वविदित सिद्धांत यह है कि सभी प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, और इसलिए, इस न्यायालय ने कई मामलों में यह निर्णय दिया है कि एक ऐसा निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "मृत पत्र" में बदल देता है, एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है क्योंकि एक भाग को नष्ट किया जा रहा है और परिणामस्वरूप अदालत को इस तरह के निर्माण से बचना चाहिए।

डी.

ई.

च

36. आयकर आयुक्त बनाम हिंदुस्तान के मामले में

जी.

थोक संवाहक 5, हालांकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-डी (4) और 245-डी (6) में, ब्याज वसूलने के लिए अंतिम बिंदु विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया था, इस न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण और प्रासंगिक के सिद्धांत को लागू करते हुए

4 (1997) 4 एससीसी 435 5 (2003) 3 एससीसी 57

एच.

निर्माण ने अभिनिर्धारित किया कि उन पर उक्त अधिनियम की धारा 234-ए, 234-बी और 234-सी की भावना के अनुसार आरोप लगाया जाना चाहिए। यह मानते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"16. अदालतों को उस निर्माण को अस्वीकार करना होगा जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा, भले ही उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो।(सैल्मन बनाम डनकोम्ब [सैल्मन बनाम डनकोम्ब, (1886) एल. आर. 11 एसी 627 (पी. सी.) देखें।55 एलजेपीसी 69:55 एल. टी. 446], एसी एट।634, कर्टिस बनाम स्टोविन [कर्टिस बनाम स्टोविन, (1889) एलआर 22 क्यूबीडी 513 (सीए):58 एलजेक्यूबी 174:60 एल. टी. 772] एस. तेजा सिंह मामले में संदर्भित [सी. आई. टी. बनाम एस. तेजा सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352:(1959) 35 आईटीआर 408]।)

ग

17. यदि चुनाव दो व्याख्याओं के बीच है, जिसकी संकीर्णता कानून के स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगी, तो हमें ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को व्यर्थ कर देगा, और इसके बजाय इस विचार के आधार पर कि संसद केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी, अधिक साहसिक निर्माण को स्वीकार करना चाहिए।(नोक्स बनाम डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज लिमिटेड देखें। [नोक्स बनाम डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज लिमिटेड, 1940 एसी 1014:(1940) 3 सभी ईआर 549 (एचएल):109 एलजेकेबी 865:163 एल. टी. 343] जिसका उल्लेख पाइ बनाम न्यू साउथ वेल्स के लिए भूमि मंत्री में किया गया है [पाइ बनाम न्यू साउथ वेल्स के लिए भूमि मंत्री, (1954) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1410:(1954) 3 सभी ईआर 514 (पीसी)]।)उक्त मामलों में इंगित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ [मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 594:1992 एससीसी (एल एंड एस) 455]।

डी.

ई.

18. कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि पूरे कानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके।

च

19. न्यायालय को न केवल अर्थ लगाए जाने वाले खंडों पर बल्कि पूरे कानून पर अपना ध्यान केंद्रित करके विधायिका के इरादे का पता लगाना चाहिए; उसे खंड की तुलना कानून के अन्य हिस्सों और उस व्यवस्था से करनी चाहिए जिसमें खंड की व्याख्या की जानी है।

जी.

होता है।(आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य देखें।

रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य (1992) 1 एस. सी. सी. 335:1992 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 286]।)इस तरह के निर्माण में किसी भी खंड के भीतर या ए के बीच किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने की योग्यता है।

एच.

471

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

एक ही क़ानून की दो अलग-अलग धाराएँ या प्रावधान।एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच आमने-सामने के टकराव से बचना अदालत का कर्तव्य है। (सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन देखें [सुल्ताना बेगम बनाम प्रेम चंद जैन, (1997) 1 एस. सी. सी. 373]।20. जब भी ऐसा करना संभव हो, यह उन प्रावधानों को समझने के लिए किया जाना चाहिए जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं ताकि वे सामंजस्य बना सकें।यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि संसद ने एक हाथ से वह दिया था जो वह दूसरे हाथ से ले गई थी।

21. कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग दूसरे के प्रावधानों को हराने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बीच सुलह करना असंभव न हो।इस प्रकार एक निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "बेकार लकड़ी" या "मृत पत्र" तक कम कर देता है, एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है।सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ विनाश करना नहीं है।"37. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अदालत को उस व्याख्या से बचना होगा जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की दो धाराओं के बीच टकराव होगा। जब किसी अधिनियम की एक धारा विधायी इरादे को सामने लाने की स्थिति में नहीं होती है, तो विधायी इरादे को इकट्ठा करने के लिए क़ानून की अन्य धाराओं का सहारा लेना होगा।यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कानून के कुछ हिस्सों पर प्रभाव डाला जाना चाहिए, भले ही वे पहली बार में विरोधाभासी प्रतीत हों।अधिनियम के एक प्रावधान का अर्थ अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए, ताकि पूरे क़ानून को सुसंगत रूप से लागू किया जा सके।किसी भी अनुभाग के भीतर या दो अलग-अलग अनुभागों के बीच किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।38. यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय के पास दो व्याख्याओं के बीच एक विकल्प है, जिसकी संकीर्णता कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगी, तो ऐसी व्याख्या से बचना होगा।अदालत को ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को व्यर्थ कर दे।एक व्यापक व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो एक प्रभावी परिणाम लाएगी।इस सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारा विचार है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (9), धारा 39 ए और धारा 56 को एक-दूसरे के संदर्भ में पढ़ना होगा।इन्हें अलग-अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

39. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 ए को देखते हुए, आयुक्त या निगम के पास ए. एम. सी. के खिलाफ विभागीय जांच को निलंबित करने या शुरू करने की शक्ति नहीं होगी, एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 और धारा 2 की उप-धारा (9) के प्रावधानों की अज्ञानता में है।

एच.

40. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी वैधानिक व्याख्या के एक अन्य सिद्धांत को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है।में

वार्ड, गोरखपुर और अन्य 6, इस न्यायालय ने कहा कि एक व्याख्या, जिसके परिणामस्वरूप विसंगति या बेतुकी बात होगी, से बचा जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कभी-कभी परिस्थितियाँ खंड की भाषा पर थोड़ा दबाव डालने को उचित ठहराती हैं ताकि अर्थहीन विसंगति से बचा जा सके।

41. निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना आगे भी प्रासंगिक होगा।

के. पी. वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य 7 के मामले में इस न्यायालय काः

"6. .....इसलिए हमें धारा 52 की उप-धारा (2) की व्याख्या में शाब्दिकता से बचना चाहिए और एक ऐसी व्याख्या पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जो इस बेतुकी और शरारत से बचाती है और प्रावधान को तर्कसंगत और विवेकपूर्ण बनाती है, जब तक कि निश्चित रूप से, हमारे हाथ बंधे न हों और हम शाब्दिक व्याख्या के अत्याचार से कोई बचाव नहीं पा सकते।अब यह निर्माण का एक सुव्यवस्थित नियम है कि जहां किसी वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या एक स्पष्ट रूप से बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है जो विधायिका द्वारा कभी भी अभिप्रेत नहीं हो सकता था, अदालत विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकती है या यहां तक कि "कुछ हिंसा कर सकती है", ताकि विधायिका के स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक तर्कसंगत निर्माण किया जा सके (ल्यूक बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त [(1963) एसी 557])।न्यायालय ऐसे मामले में सांविधिक प्रावधान में एक ऐसी शर्त भी पढ़ सकता है जो, हालांकि व्यक्त नहीं की गई है, लेकिन सांविधिक प्रावधान में अंतर्निहित मूल धारणा का गठन करने के रूप में निहित है।

ग

डी.

ई.

42. तमिलनाडु राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले से निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख करना उचित होगा।

च

कोडाइकनाल मोटर यूनियन **(**पी**)** लिमिटेड **8:**

"16. लॉर्ड डेनिंग, सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स बनाम एशर में [(1949)

2 सभी ई. आर. 155,164] ने इस प्रकार कहाः"..... जब कोई दोष प्रकट होता है तो एक न्यायाधीश केवल अपने हाथ जोड़कर ड्राफ्ट्समैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है।उन्हें संसद के इरादे को खोजने के रचनात्मक कार्य पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए।

जी.

6 (1991) 4 एस. सी. सी. 560 7 (1981) 4 एस. सी. सी. 173 8 (1986) 3 एस. सी. सी. 91 ए

एच.

473

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

और फिर उसे लिखित शब्द का पूरक होना चाहिए ताकि विधायिका के इरादे को 'बल और जीवन' दिया जा सके। एक न्यायाधीश को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ता, तो वे इसे कैसे ठीक करते?फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा।एक न्यायाधीश को

उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह दरारों को दूर कर सकता है और उसे करना चाहिए।"

17. अदालतों को हमेशा विधायिका के इरादे का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।हालाँकि अदालतों को उपयोग की गई भाषा से क़ानून के इरादे का पता लगाना चाहिए, लेकिन भाषा अक्सर मानव विचार की अभिव्यक्ति का एक अपूर्ण साधन नहीं है। जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि यह उम्मीद करना बेकार होगा कि प्रत्येक वैधानिक प्रावधान को दिव्य विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया जाएगा।जैसा कि जज लर्नड हैंड ने कहा, हमें शब्दकोश से बाहर एक किला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि कानूनों का कोई उद्देश्य या उद्देश्य होना चाहिए, जिसकी कल्पनाशील खोज न्यायिक शिल्प कौशल है।हमें हमेशा शाब्दिकता से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है और किसी अन्यायपूर्ण या बेतुके परिणाम से बचने का प्रयास करना चाहिए।हमें कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए।एक दुखी शब्दों वाले प्रावधान से समझ में आने के लिए, जहां न्यायिक पूर्व संध्या के लिए उद्देश्य स्पष्ट है, भाषा के लिए "कुछ" हिंसा की अनुमति है।(के. पी. वर्गीज बनाम आई. टी. ओ. देखें [(1981) 4 एस. सी. सी. 173,180-82:1981 एससीसी (कर) 293,300-302:(1981) 131

ग

डी.

ई.

आई. टी. आर. 597,604-606 और ल्यूक बनाम अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त

[(1964) 54 आई. टी. आर. 692 (एच. एल.)])"

43. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को हमेशा शाब्दिक व्याख्या से नहीं चिपकना चाहिए और किसी अन्यायपूर्ण या बेतुके परिणाम से बचने का प्रयास करना चाहिए।अदालत को कानून का मजाक उड़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक दुखी शब्दों वाले प्रावधान से अर्थ निकालने के लिए, जहां उद्देश्य न्यायिक नजर में स्पष्ट है, भाषा के लिए 'कुछ' हिंसा भी स्वीकार्य है।

च

44. यदि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक बेतुकी और विसंगत स्थिति पैदा कर देगा, जिसमें एक ओर, प्रतिवादी संख्या 1, जिसे के. डी. एम. निगम के लिए राज्य सरकार द्वारा चुना और नियुक्त किया गया था, हालांकि के. डी. एम. निगम का कर्मचारी होगा, के. डी. एम. निगम उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं होगा, भले ही वह गंभीर कदाचार में लिप्त पाया गया हो।दूसरी ओर, जब से

जी.

एच.

प्रत्यर्थी संख्या 1 राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, राज्य सरकार भी उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू करने की स्थिति में नहीं होगी।

45. हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विधायिका का इरादा इस तरह की बेतुकी और विसंगत स्थिति पैदा करना नहीं होता।एक विधायी इरादा एक कर्मचारी को मुक्त छोड़ने का नहीं हो सकता है, हालांकि वह गंभीर दुराचार में लिप्त है।इसलिए हमारा विचार है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 2, धारा 39 ए और धारा 56 की उप-धारा (9) के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, नगर निगम के आयुक्त के पास ए. एम. सी. के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को निलंबित करने या शुरू करने की शक्ति होगी,

जो सहायक आयुक्त से उच्च पद का अधिकारी है।तथापि, ऐसे अधिकारी के निलंबन के मामले में, एकमात्र आवश्यकता निगम को उसके कारणों के साथ रिपोर्ट करने की होगी, और यदि निगम द्वारा ऐसे निलंबन की पुष्टि ऐसे निलंबन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं की जाती है, तो वह समाप्त हो जाएगा।हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, कोई भी अन्य व्याख्या बेतुकी और विसंगति का कारण बनेगी, और इसलिए इससे बचना होगा।

ग

डी.

46. हम पाते हैं कि अपीलों को व्याख्या के एक अन्य नियम पर अनुमति दी जानी चाहिए, कि क़ानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह अपनी व्यवहार्यता को बनाए रखे।हाल ही में, इस अदालत ने मामले में

संजय रामदास पाटिल बनाम संजय और अन्य **9** ने

ई.

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय और इस प्रकार टिप्पणी की गईः“36. .....इन टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

टी. एन. बनाम राज्य में न्यायालयएम. के. कंदास्वामी [राज्य टी. एन. बनाम.एम. के

कंदस्वामी, (1975) 4 एस. सी. सी. 745:1975 एससीसी (कर) 402]:(एस. सी. सी. पी. 751, पैरा 26)

च

“26. ... यदि एक से अधिक निर्माण संभव है, तो जो इसकी कार्यशीलता और प्रभावकारिता को बनाए रखता है, उसे उस निर्माण की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इसे ऑटियोज या स्टेराइल बना देगा।"

37. सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स [सी. आई. टी. बनाम हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, (2003) 3 एस. सी. सी. 57] मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की हैः(एस. सी. सी. पी. 73, पैरा 15)

जी.

“15. एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए जब तक कि यह महत्वपूर्ण न हो।

9 (2021) 10 एस. सी. सी. 303 ए

एच.

475

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

चूक या स्पष्ट दिशा उस लक्ष्य को अप्राप्य बना देती है।(व्हिटनी बनाम आई. आर. सी. देखें [व्हिटनी बनाम आई. आर. सी., 1926 एसी 37:10 कर मामला 88 (एच. एल.):95 एलजेकेबी 165:134 एल. टी. 98], पी. पर एसी।52 संदर्भित

सी. आई. टी. बनाम एस. तेजा सिंह [सी. आई. टी. बनाम एस. तेजा सिंह, ए. आई. आर. 1959

एससी 352:(1959) 35 आई. टी. आर. 408] और गुरसाहाई सहगल बनाम सी. आई. टी. [गुरसाहाई सहगल बनाम सी. आई. टी., ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062:(1963) 48 आईटीआर 1]।)”

38. बलराम कुमावत बनाम भारत संघ में [बलराम कुमावत बनाम।

भारत संघ, (2003) 7 एस. सी. सी. 628], इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 636-37, पैरा 25-26)

“25. एक क़ानून को एक व्यवहार्य साधन के रूप में माना जाना चाहिए।यू टी

ग

रेज़ मैजिस वैलेट क्वाम पेरेत कानून का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है।तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम.असम राज्य [तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम.असम राज्य, (1989)

3 एस. सी. सी. 709] इस न्यायालय ने कानून को इस प्रकार कहाः(एस. सी. सी पी.754, पैरा 118-20)

डी.

‘118. अदालतें किसी भी निर्माण के खिलाफ दृढ़ता से झुकती हैं जो एक क़ानून को निरर्थकता में बदल देता है।कानून के प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसे प्रभावी और प्रभावी बनाया जा सके, इस सिद्धांत पर कि "यू. टी. आर. एस. मैजिस वैलेट क्वाम पेरेत"।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई क़ानून पूरी तरह से अस्पष्ट है और उसकी भाषा पूरी तरह से अव्यवहारिक और पूरी तरह से अर्थहीन है, तो क़ानून को अस्पष्टता के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है।यह अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन या अनुचितता के लिए कानून का परीक्षण करके न्यायिक समीक्षा में नहीं है; लेकिन एक निर्माण न्यायालय, एक क़ानून की भाषा से निपटने के लिए, क़ानून से अर्थ और उद्देश्य का पता लगाने और उसके अनुसार क्या करता है जो विधायिका

ई.

च

इसके लिए इरादा किया गया।मैनचेस्टर शिप कैनाल कंपनी बनाममैनचेस्टर रेसकोर्स कं. [मैनचेस्टर शिप कैनाल कं. बनाम। मैनचेस्टर रेसकोर्स कंपनी, (1900) 2 सीएच 352:69

एलजेसीएच 850:83 एल. टी. 274] जे. फारवेल ने कहाः(Ch pp. 360-61) "जब तक शब्द इतने पूरी तरह से निरर्थक नहीं थे कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ अर्थ खोजने के लिए बाध्य होना चाहिए, और उन्हें अनिश्चितता के लिए शून्य घोषित नहीं करना चाहिए।"

जी.

119. फॉसेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम.बकिंघम काउंटी काउंसिल [फॉसेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम।बकिंघम काउंटी

एच.

परिषद, (1960) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 831:(1960) 3 ऑल ई. आर. 503 (एच. एल.) लॉर्ड डेनिंग ने फारवेल, जे. के कथन को मंजूरी देते हुए कहाः(डब्ल्यू. एल. आर. पी. 849: सभी ई. आर. पी. 516)

“लेकिन जब किसी क़ानून का कुछ अर्थ होता है, भले ही वह अस्पष्ट हो, या कई अर्थ हों, भले ही उनमें से चुनने के लिए बहुत कम हो, तो अदालतों को यह कहना पड़ता है कि क़ानून का क्या अर्थ है, न कि इसे शून्य के रूप में अस्वीकार करना।"120. इसलिए, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह क़ानून के बारे में जो कुछ भी कर सकता है वह करे, यह जानते हुए कि क़ानून लागू करने के लिए हैं और अयोग्य नहीं हैं और असंभवता से कम कुछ भी अदालत को किसी क़ानून को अव्यवहारिक घोषित

करने की अनुमति नहीं देना चाहिए।व्हिटनी बनाम आई. आर. सी. [व्हिटनी बनाम आई. आर. सी., 1926 एसी 37:10 कर मामला 88 (एच. एल.):95 एलजेकेबी 165:134 एल. टी. 98] लॉर्ड डुनेडिन ने कहाः(एसी पी. 52)

ग

“एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और अदालत द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होनी चाहिए, जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट निर्देश उस उद्देश्य को अप्राप्य नहीं बनाता है।” ’

डी.

26. इसलिए अदालतें उस निर्माण को अस्वीकार कर देंगी जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा, भले ही उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो।[सैल्मन बनाम डनकोम्ब [सैल्मन बनाम डनकोम्ब, (1886) एल. आर. 11 एसी 627 (पी. सी.) देखें।55 एलजेपीसी 69:55 एल. टी. 446] (पृ. 634 पर एसी)।कानून की निरर्थकता को कम करने से बचा जाएगा और ऐसे मामले में जहां विधायिका के इरादे को लागू नहीं किया जा सकता है, अदालतें एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से साहसिक निर्माण को स्वीकार करेंगी।"

ई.

च

39. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो क़ानून को व्यवहार्य बनाए।विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाने वाली व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी।जो व्याख्या परिणाम का प्रभाव लाती है, उसे उस व्याख्या की तुलना में प्राथमिकता देनी होगी जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल करती है।

जी.

47. हमारा विचार है कि विधायिका ऐसी स्थिति का इरादा नहीं रख सकती थी, जिसमें ए. एम. सी. का पद राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और हालांकि उक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति ए. का कर्मचारी बन जाता है।

एच.

477

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.] ए.

निगम, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं होगा।यदि इस तरह की व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह बेतुकेपन की ओर ले जाएगा और एक शून्य पैदा करेगा।हमारी राय में, ऐसी स्थिति से बचने के लिए, एम. एम. सी. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर हमारे द्वारा दी गई व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी।48. जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से यह तर्क उठाया गया है कि एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) में उपयोग किए गए "सक्षम प्राधिकारी" शब्द को अध्याय 4 में पदों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में पढ़ना होगा, हम उक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।इस तरह के प्रतिबंधात्मक अर्थ कानून को अनुचित बना देंगे।किसी भी स्थिति में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि एक परिवहन प्रबंधक को एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 40 के तहत नियुक्त किया जाता है, जो कि अध्याय II का एक हिस्सा है, एक परिवहन प्रबंधक को विशेष रूप से एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में संदर्भित किया जाता है जो अध्याय IV का एक हिस्सा है और आयुक्त को अपनी सेवाओं को निलंबित करने का अधिकार देता है, हालांकि, निगम को कारणों के साथ रिपोर्ट करने की आवश्यकता के साथ।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि विधायी इरादा "सक्षम प्राधिकारी" शब्द को एक संकीर्ण अर्थ देना था, केवल ऐसे अधिकारियों के लिए जो अध्याय IV में पाए गए थे, तो एम. एम. सी. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) में

परिवहन प्रबंधक का कोई संदर्भ नहीं होता, जिसे एम. एम. सी. अधिनियम के अध्याय II के तहत नियुक्त किया जाता है। इसलिए हम पाते हैं कि इस संबंध में तर्क को खारिज करने की आवश्यकता है।

ग

डी.

ई.

49. इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ शुरू किए गए निलंबन और विभागीय कार्यवाही को रद्द करने में पूरी तरह से गलती की है।विवादित निर्णय का प्रभाव यह है कि प्रतिवादी संख्या 1, जिसे प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार में शामिल पाया गया है, को किसी भी विभागीय कार्यवाही का सामना किए बिना छोड़ दिया गया है और सेवाओं में बहाल करने का निर्देश दिया गया है।

च

50. जहाँ तक प्रत्यर्थी संख्या 1 के लंबे समय तक निलंबन का संबंध है, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

जी.

अजय कुमार चौधरी (उपरोक्त) और तमिलनाडु राज्य के मामलों में सरकार के सचिव (गृह) बनाम प्रमोद द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

कुमार**,** आई**.** पी**.** एस**.** और अन्य **10**।जहां तक अजय कुमार चौधरी **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है**,** हालांकि यह न्यायालय

10 (2018) 17 एस. सी. सी. 677

एच.

निलंबन की लंबी अवधि और उसके बार-बार नवीनीकरण की निंदा की है, उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने पाया कि चूंकि उसमें अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया गया था, इसलिए उक्त मामले में जारी किया गया निर्देश उसके लिए अब प्रासंगिक नहीं हो सकता है।

51. जहाँ तक आई**.** पी**.** एस**. (**उपरोक्त**)** प्रमोद कुमार के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है**,** इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"24. ....आपराधिक मुकदमे के लंबित रहने तक निलंबन के तहत पहले प्रतिवादी को जारी रखने के लिए राज्य सरकार की शक्ति या अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।हालांकि, मुद्दा यह है कि क्या पहले प्रतिवादी का लंबे समय तक निरंतर निलंबन उचित है।"

ग

52. उक्त मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 को छह साल से अधिक समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 को निलंबन के तहत जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

डी.

53. हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में, यह प्रतिवादी संख्या 1 है, जिसने विभागीय कार्यवाही में भाग लेने का आह्वान किया है, लेकिन अपने दम पर इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया है।यह प्रत्यर्थी संख्या 1 है, जिसने अधिकार क्षेत्र के आधार पर आयुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर आपत्ति जताई थी और विभागीय कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसलिए हम पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।किसी भी मामले में, हम पाते हैं कि लंबे समय तक निलंबन के मुद्दे पर विभागीय कार्यवाही को एक निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश देकर ध्यान रखा जाएगा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 का निलंबन तब तक जारी रहेगा।

ई.

च

54. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

जी.

55. परिणामस्वरूप, निम्नलिखित शर्तों में अपीलों की अनुमति दी जाती हैः(i) बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका (एस. टी.) सं. 6 अप्रैल 2021 को पारित विवादित निर्णय। 2020 का 3599 रद्द कर दिया गया है और अलग रखा गया है;
ए

एच.

479

कल्याण डोम्बिवाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम।

संजय गजानन घरत और एक और [बी. आर. गवई, जे.]

((ii) रिट याचिका (एसटी)। बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर 2020 की संख्या 3599 को खारिज कर दिया जाता है;

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को इस निर्णय की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विभागीय कार्यवाही के समापन तक निलंबन में रहेगा; और

((iv) लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उपरोक्त शर्तों में निपटा दिए जाएंगे।सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे।

ग

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.